भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 22
जिसका उत्तर सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक) को दिया गया

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण ना देना

22. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शिक्षा ऋण संवितरित करने हेतु दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने शिक्षा ऋणों के लिए ऋणाधार प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है; और
(ग) विगत दो वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण के कितने आवेदन अस्वीकार किए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ख): भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तैयार की गई आदर्श शिक्षा ऋण योजना को अपनाने की सलाह दी है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- यह योजना आवश्यकता आधारित शिक्षा ऋण उपलब्ध कराती है।
- 7.50 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए किसी संपार्श्विक प्रतिभूति या तृतीय पक्ष गारंटी की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते वे केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सहायता योजना (सीएसआईएस)/शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफएसईएल) के लिए पात्र हों।
- 4 लाख रुपये तक के ऋण पर कोई मार्जिन नहीं है।
- सभी मामलों में अध्ययन अवधि के अतिरिक्त एक वर्ष तक की अधिस्थगन अवधि की अनुमति है।
- सभी ऋणों के लिए 15 वर्ष तक की पुनर्भुगतान अवधि (अधिस्थगन के बाद) उपलब्ध है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) भी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार, मामला-दर-मामला आधार पर 7.50 लाख रुपये से अधिक के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करते हैं।

(ग) जैसाकि आईबीए द्वारा सूचित किया गया है, पीएसबी द्वारा अस्वीकृत शिक्षा ऋणों की संख्या सम्बंधी आंकडे केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, आईबीए आदर्श शिक्षा ऋण योजना के अनुसार, यदि कोई ऋण आवेदन अस्वीकृत होता है, तो उक्त अस्वीकृति अगले उच्चाधिकारी की सहमति से की जाएगी और अस्वीकृति का कारण बताते हुए छात्र को सूचित किया जाएगा।

इसके अलावा, पीएसबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, यह देखा गया है वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खातों की संख्या और संवितरित राशि के संदर्भ में, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि क्रमशः 17% और 14.8% थी, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

	2022-23	**2023-24**
ऋण खातों की संख्या	6,29,594	7,36,580
संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)	24,997	28,699
स्रोत: पीएसबी		

*****